

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही
व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)					
प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	ब्याज दर (प्रति वर्ष)		मृत्यु दर	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
सहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.				
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य				
	लाइफ	6.65% - 7.38%	6.65% - 7.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%-150%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%-150%
	साधारण वार्षिकी	6.65% - 7.38%	6.65% - 7.38%	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ
	पेंशन	6.65% - 7.38%	6.65% - 7.38%	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध -वी.आई.पी.				
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य				
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही
व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)					
प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	ब्याज दर (प्रति वर्ष)		मृत्यु दर	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
असहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.				
	लाइफ	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य				
	लाइफ	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 90%-150%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 90%-150%
	साधारण वार्षिकी	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ	आस्थगन अवधि के दौरान- आईएएलएम (2012-14) चरम का 115% / निहित होने के बाद- आईआईएएम (2012-15) चरम 3 वर्ष कटौती के साथ
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 115%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 115%
	संबद्ध -वी.आई.पी.				
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य				
	लाइफ	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 145%
	हेल्थ	5.65% - 6.38%	5.65% - 6.38%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 115%	आईएएलएम (2012-14) चरम का 115%

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही

व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)							
प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	अस्वस्थता दर		नियत खर्च ⁽¹⁾ (₹)		परिवर्तनशील खर्च ⁽²⁾	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
सहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	नवीकरण- 297.5-1172	नवीकरण- 275.5-1172	नव व्यवसाय- 1.65%-15%; नवीकरण- 0.75%	नव व्यवसाय- 1.65%-15%; नवीकरण- 0.75%-3.00%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	आस्थगन अवधि के दौरान- 586-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में - 223 दावा खर्च - 195	आस्थगन अवधि के दौरान- 586-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में - 206 दावा खर्च - 195	नवीकरण-0.75%	नवीकरण-3.00%
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	आस्थगन अवधि के दौरान- 586-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में - 223 दावा खर्च - 195	आस्थगन अवधि के दौरान- 586-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में - 206 दावा खर्च - 195	नवीकरण- 0.75%	नवीकरण- 0.75%-3.00%
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही

व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)

प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	अस्वस्थता दर		नियत खर्च ⁽¹⁾ (₹)		परिवर्तनशील खर्च ⁽²⁾	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
असहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	नवीकरण- 586-1172	नवीकरण- 586-1172	नवीकरण: 0.75%	नवीकरण: 2.65%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	नवीकरण- 199-1172	नवीकरण- 184-1172	नव व्यवसाय- 1.65%-16%; नवीकरण-0.75%	नव व्यवसाय- 1.65%-16%; नवीकरण-0.75%-18.75%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	आस्थगन अवधि के दौरान-264-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में -223 दावा खर्च - 195	आस्थगन अवधि के दौरान-264-1172 वार्षिकियाँ भुगतान में -206 दावा खर्च - 195	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%-3.00%
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	एच.सी.बी/एमएसबी:- प्लान 903, 904, 906 के लिए स्विस-री अस्वस्थता दर का 135%; प्लान 905: आर.जी.ए पुनर्बीमा दरें का 130%-145%	एच.सी.बी/एमएसबी:- प्लान 903, 904, 906 के लिए स्विस-री अस्वस्थता दर का 135%; प्लान 905: आर.जी.ए पुनर्बीमा दरें का 130%-145%	नवीकरण: प्लान 903, 904 तथा 906- 1334 मुख्य बीमित के लिए तथा अन्य के लिए 667; प्लान 905- 999 चालू पालिसी के लिए; दावा व्यय: 594/-; आय हितलाभ व्यय: 214/-	नवीकरण: प्लान 903, 904 तथा 906- 1334 मुख्य बीमित के लिए तथा अन्य के लिए 667; प्लान 905- 999 चालू पालिसी के लिए; दावा व्यय: 594/-; आय हितलाभ व्यय: 214/-	नवीकरण-0.75%	नव व्यवसाय- 20% नवीकरण-0.75%-18.75%
	संबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	नव व्यवसाय- 4752 नवीकरण-734.5-1469	नव व्यवसाय- 4752 नवीकरण-734.5-1469	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	नव व्यवसाय- 4752 नवीकरण- 734.5-1469	नव व्यवसाय- 4752 नवीकरण- 734.5-1469	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%	नव व्यवसाय- 7% नवीकरण- 0.75%
	हेल्थ	एचसीबी तथा एमएसबी :म्यूनिक-री अस्वस्थता दर का 135%	एचसीबी तथा एमएसबी :म्यूनिक-री अस्वस्थता दर का 135%	नवीकरण- 756-1512	नवीकरण- 756-1512	नवीकरण-0.75%	नवीकरण-0.75%

नोट: 1: प्रति पॉलिसी नियत खर्च

2: प्रीमियम संबंधित खर्च

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही
व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)							
प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)		निकासी दर ⁽³⁾		भविष्य की बोनस दरें (प्रति 1000 बीमाधन/मृत्यु हितलाभ बीमाधन/एन.सी.ओ/प्रीमियम) (₹)	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक**	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
सहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य						
	लाइफ	6%-8%	6%-8%	0% -41%	0% - 20%	12.50 to 66.50	12.50 to 59.30
	साधारण वार्षिकी	6%-8%	6%-8%	0% - 4%	0% - 3%	20 to 25	20 to 25
	पेंशन	6%-8%	6%-8%	0% - 3%	0% - 6%	22 to 43.10	22 to 43.10
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

एल-42- मूल्यन आधार
बीमाकर्ता :

भारतीय जीवन बीमा निगम

2024-25: 30.09.2025 को समाप्त तिमाही
व्यक्तिगत व्यवसाय

मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटर की सीमा (न्यूनतम से अधिकतम)							
प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	मुद्रास्फीति दर (प्रति वर्ष)		निकासी दर ⁽³⁾		भविष्य की बोनस दरें (प्रति 1000 बीमाधन/मृत्यु हितलाभ बीमाधन/एन.सी.ओ/प्रीमियम) (₹)	
		30/09/2025 तक	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक**	30/09/2024 तक	30/09/2025 तक	30/09/2024 तक
असहभागी	असंबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	6%-8%	6%-8%	1%	1% - 14%	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	असंबद्ध-अन्य						
	लाइफ	6%-8%	6%-8%	0% - 28%	0% - 74%	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	6%-8%	6%-8%	0%- 7%	0%- 12%	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	6%-8%	6%-8%	6%- 26%	6%- 39%	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध -वी.आई.पी.						
	लाइफ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संबद्ध-अन्य						
	लाइफ	6%-8%	6%-8%	0%- 26%	0%-60%	लागू नहीं	लागू नहीं
	साधारण वार्षिकी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पेंशन	6%-8%	6%-8%	0% - 23%	0%-60%	लागू नहीं	लागू नहीं
	हेल्थ	6%-8%	6%-8%	3%	1%-22%	लागू नहीं	लागू नहीं

3: कालातीत और अभ्यर्पण के लिए सीमित (** दर्शाई गयी दरें चालू पालिसी के लिये हैं)

मूल्यांकन डाटा एवं उनकी सटीकता, पूर्णता और तर्कसंगतता और मूल्यांकन प्रणाली में डाटा प्रदान करने के तरीको का संक्षिप्त विवरण ।

(1) डाटा: पॉलिसी डाटा पॉलिसी प्रशासन प्रणाली से निष्कर्षित की जाती है। निष्कर्षित डाटा का प्रयोग डाटा रूपान्तरण प्रणाली जो बीमांकन सॉफ्टवेयर “प्रोफेट” का एक अंश है, द्वारा किया जाता है तथा डाटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगतता जाँच की जाती है। सत्यापन के बाद पॉलिसी डाटा का प्रयोग पॉलिसी देयताओं के मूल्यांकन के लिए की जाती है।

(2) प्रोफेट सॉफ्टवेयर के लिए स्पष्ट अवधारणा सारणी बनाने हेतु मूल्यांकन पैरामीटर को सिस्टम में शामिल किया जाता है। प्रोफेट सॉफ्टवेयर इनपुट के रूप में पैरामीटर फाइल के साथ व्यक्तिगत मॉडल पॉइंट फाइल लेता है और संचिति का परिकलन करता है।

पॉलिसी देयताओं के मूल्यांकन के लिए बीमांकन अवधारणाएँ और क्रियाविधि (अवधि के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ):

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत संबद्ध और असंबद्ध व्यवसाय शामिल हैं। असंबद्ध व्यवसाय में असहभागी बीमा के तहत लिखी गई समूह पॉलिसियों के साथ सहभागी बीमा/वार्षिकी/पेंशन पॉलिसियाँ और असहभागी बीमा/वार्षिकी/पेंशन/व्यक्तिगत हेल्थ पॉलिसियाँ शामिल हैं। संबद्ध व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए संबद्ध बीमा व्यवसाय के एक छोटे अनुपात के साथ असहभागी बीमा/पेंशन/व्यक्तिगत हेल्थ पॉलिसियाँ शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में उनके साथ राइडर यथा गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट हितलाभ, अवधि बीमा और दुर्घटना हितलाभ, दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ के साथ जुड़े हुए हैं।

संगत मूल्यांकन तिथि को व्यक्तिगत और समूह पॉलिसियों का पॉलिसी देयताएँ बीमांकिक रूप से प्रत्येक पॉलिसी के लिए लागू अधिनियमों, विनियमों, बीमांकिक व्यावसायिक मानकों को लागू विवेकपूर्ण सीमांत को शामिल करते हुए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पॉलिसी का संचिति कम-से-कम लागू अभ्यर्पण मान के बराबर सुनिश्चित किया गया है। पॉलिसी देयताएँ परिकलन के समय ऋणात्मक संचिति को शून्य करना भी सुनिश्चित किया गया है। संबद्ध व्यवसाय के संदर्भ में यूनिट देयता मूल्यांकन तिथि के यूनिटों का कुल शुद्ध परिसंपत्ति मान है। संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत नॉन-यूनिट देयता का निर्धारण डिस्काउंटेड कैशफ्लो विधि प्रयोग कर की गई है। पॉलिसी देयताओं का निर्धारण व्याज, मृत्यु-दर, अस्वस्थता दर, निकासी दर, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस आदि, जहाँ कहीं लागू हैं, के मूल्यांकन अवधारणाओं के आधार पर किया गया है। समूह नकद संचय योजनाओं के लिए के लिए देयता संबन्धित मूल्यांकन तिथियों पर ऐसी सभी योजनाओं का निधि मान है। समूह बीमा योजनाओं के संदर्भ में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक के अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के द्वारा निकाली गई है।

मूल्यांकन के लिए ब्याज दर देयताओं के संबंधित ब्लॉक का समर्थन करने वाली परिसंपत्तियों के आधार पर विभिन्न उत्पादों के मॉडल और देयताओं के अनुरूप भविष्य की अवधि के लिए ब्याज की परिवर्तनीय दर के आधार पर लिया गया है। भविष्य की प्रत्यावर्ती बोनस दरें निवेश रिटर्न पर अपेक्षित भविष्य के अनुभव और संबंधित पॉलिसी देयताओं का समर्थन करने वाली परिसंपत्तियों के ब्लॉक के अनुरूप ब्याज की मूल्यांकन दर के अनुरूप हैं। इसके अलावा, वास्तविक प्रत्यावर्ती बोनस दरें भविष्य के वास्तविक और अपेक्षित अनुभव पर निर्भर करेगी तथा उनका निर्धारण जी.बी.नि. अधिनियम, 1956 (धारा 24, 26 और 28 सहित) और बीमा अधिनियम, 1938 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार होगी। प्रयुक्त मृत्यु-दर प्रकाशित भारतीय बीमा जीवन मृत्यु दर (2012-14) चरम मृत्यु दर सारणी पर आधारित है और वार्षिकी के लिए यह दर आई.आई.ए.एम. (2012-15) चरम सारणी में अपेक्षित अनुभव के समायोजन के साथ किया गया है। अस्वस्थता दर क्रिटिकल इलनेस बेस टेबल (सी.आई.बी.टी. 93, यू.के.)/ पुनर्बीमा कर्ता के घटना दर पर आधारित है, जिसे हमारे प्रयोग के लिए विवेकपूर्ण सीमांत सहित संशोधित किया गया है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है। व्यय अवधारणाएँ प्रीमियम के प्रतिशत, या प्रति पॉलिसी, या बीमा राशि या इनके समायोजन के रूप में ली गई है। पॉलिसी देयता के लिए व्यय मुद्रास्फीति को मूल्यन ब्याज दर के संगत किया गया है। व्यक्तिगत पॉलिसियों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त नवीनीकरण प्रति पॉलिसी व्यय प्लान के प्रकार एवं पॉलिसी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है।

सहभागी पॉलिसियों के लिए पॉलिसी देयताओं के निर्धारण में कराधान और शेयरधारकों के अधिशेष आवंटन को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त देयता के लिए वैश्विक संचिती प्रदत्त पॉलिसियों के पुनर्जीवन, प्रदत्त मान नहीं प्राप्त करने वाली पॉलिसियों का फिर से बहाली, नव-व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद होने की स्थिति में व्यय में तत्काल वृद्धि, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम के संबंध में देयता और वापसी योग्य दोहरी दुर्घटना हितलाभ प्रीमियम, बीमित जो मानक नहीं है के लिए अतिरिक्त जोखिम, कोविड-19 महामारी के लिये अतिरिक्त मृत्यु भार, एड्स/एच.आई.वी., घटित किंतु रिपोर्ट नहीं हुई मृत्यु (आई.बी.एन.आर.), आपदा आदि के साथ रखा गया है। उपर्युक्त मदों के संचिती के लिए प्रयुक्त अवधारणाओं का निर्धारण मूल्यांकन की तिथि को पॉलिसी के बाकी बचे अवधि में भविष्य के अनुभव का विवेकपूर्ण निर्धारण के आधार पर प्रतिकूल विचलन के सीमांत के साथ किया जाता है। इसके अलावा, संबद्ध प्लानों के मामलों में जहाँ कहीं पूर्णावधि पर गारंटी है, के लिए गारंटी का मूल्य स्टोकेस्टिक तरीकों का प्रयोग कर किया गया है। ब्याज दर गारंटी प्लानों के लिए, ब्याज गारंटी का मूल्य रखी गई है। प्लान जहाँ पॉलिसीधारक विकल्प का चयन कर सकते हैं के मामलों में बीमाकर्ता के लिए प्रतिकूल विकल्प को इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए लिया गया है। संबद्ध पॉलिसियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधिरखी गई है।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं को वित्त अधिनियम, 2021 के भाग III और 29 जून, 2021 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जो कि 30 जून, 2021 से प्रभावी हैं। निगम के बोर्ड ने 8 जनवरी, 2022 को जी.बी.नि. अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 24 के अनुसार एकल निधि को अलग-अलग सहभागी तथा असहभागी निधि के विभाजन और 17 सितंबर, 2021 को जी.बी.नि. अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के अनुसार अधिशेष वितरण नीति को मंजूरी दे दी है। अधिशेष वितरण नीति सहभागी पॉलिसियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 95 : 5, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में

92.5: 7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके आगे के लिए 90: 10 और असहभागी पॉलिसियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 0: 100 के अधिशेष वितरण स्वरूप को अनिवार्य कर दिया है। यह 30 सितम्बर 2025 के पॉलिसी देयताओं के मूल्यांकन में समायोजित किया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिशेष वितरण नीति को लिंक <https://licindia.in/hi/web/guest/policies-and-code-of-conduct> के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में उक्त फॉर्म का अंग्रेजी वर्सन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।